न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, महराजगंज।

उपस्थितः पवन कुमार श्रीवास्तव, एच0जे0एस0

सिविल पुनरीक्षण सं0–04/2023

(C.N.R.UPMH01-000641-2023)

अमर सिंह उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र घरभरन प्रसाद, निवासी ग्राम नौसागर, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, विकास क्षेत्र धानी, जनपद महराजगंज

....निगरानीकर्ता/याची

बनाम

1.बेचन पुत्र पियारे निवासी ग्राम नौसागर, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, विकास क्षेत्र धानी, जनपद महराजगंज (निर्वाचित ग्राम प्रधान)

....विपक्षी प्रथम पक्ष

2.प्रभुराम पुत्र हृदयलाल
3.धर्मनाथ पुत्र स्व0 रामभरन
4.कमलेश पुत्र विष्णु प्रसाद
5.बैजनाथ पुत्र सोहरत
6.संजय पुत्र रामभरोस
7.मुनिराम पुत्र भगवानदास
निवासीगण ग्राम नौसागर, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, विकास क्षेत्र धानी, जनपद महराजगंज।

....विपक्षी द्वितीय पक्ष

8.मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जनपद महराजगंज।
9.जिला मजिस्ट्रेट महराजगंज, जनपद महराजगंज।

....विपक्षी तृतीय पक्ष

निर्णय

1. निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत निगरानी विद्वान विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, फरेन्दा, महराजगंज द्वारा वाद संख्या–02668/2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या–टी202105470402668 अमर सिंह बनाम बेचन अन्तर्गत धारा–12ग उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रश्नगत आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने याची की चुनाव याचिका दिनांक 03.06.2021 निराधार एवं बलहीन होने के कारण निरस्त किया है।

2. निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता द्वारा यह तथ्य उल्लिखित किया गया है कि राजस्व ग्राम नौसागर, तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, विकास क्षेत्र धानी, जनपद महराजगंज के ग्राम प्रधान पद के निर्वाचन हेतु दिनांक 19.04.2021 को मतदान सम्पन्न हुआ। निगरानीकर्ता का चुनाव चिन्ह अनाज ओसाता किसान था। उत्तरवादी संख्या–2 से 7 भी उक्त निर्वाचन में प्रत्याशी थे। दिनांक 02.05.2021 को मतगणना का कार्य सम्पन्न हुआ। उक्त मतगणना में निगरानीकर्ता को गलत पराजित दिखाकर उत्तरवादी संख्या–1 को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। दिनांक 19.04.2021 को ग्राम पंचायत नौसागर के बूथ संख्या–80 से 89 पर मतदान सम्पन्न हुआ, उक्त बूथों पर पड़े मतों का विवरण निगरानी याचिका में उल्लिखित है। मतगणना का कार्य नियत दिनांक को हुआ। मत में सर्वाधिक मत निगरानीकर्ता को मिला। उसके विजयी घोषित

करने के सम्बन्ध में सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाने लगी परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 अपने धन व बाहुबल के बल पर मतपत्रों की गिनती पर पुर्नविचार का दबाव बनाकर उत्तरवादी के प्राप्त मतों में हेरा फेरी कर दिया तथा उसे मात्र 926 मत पाना दिखाया गया। प्रतिवादी संख्या–1 को 934 मत दिखाकर उसे विजयी घोषित कर उपक्रम होने लगा। गणना की इन धांधलियों के संबंध में गणनास्थल पर उपस्थित सहयक निर्वाचन अधिकारी से मौखिक शिकायत की गयी तथा पुर्नगणना की मांग की गयी। सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गयी तथा पुलिस बल का प्रयोग कर निगरानीकर्ता तथा उसके एकल एजेन्ट को बलपूर्वक गणना पांडाल से बाहर कर दिया गया। इस अफरा तफरी में सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा बूथ संख्या–89 के गड्डियों में से सिर्फ एक गड्डी की पुर्नगणना करायी गयी, जिसमें तीन वोट उत्तरवादी संख्या–1 के मतों में फर्जी पाया गया। क्योंकि उसमें 2 वोट चुनाव चिन्ह कार के प्रत्याशी को तथा एक वोट चुनाव चिन्ह कैमरा का निकला शेष बूथों की गड्डियों का पुर्नगणना नहीं कराया गया तथा मनमाने ढंग से प्रतिवादी संख्या–1 को ग्राम पंचायत नौसागर के प्रधान पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

3. निगरानी में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा निर्वाचन याचिका में दिनांक 06.02.2023 को पारित निर्णय मनमाना है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यकों पर न्यायिक विवेचना नहीं किया गया तथा आलोच्याधीन निर्णय दिनांकित 06.02.2023 मूक निर्णय के साथ साथ बिना किसी तर्क संगत व विधिक आधार के है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा–12ग उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं का अनुसरण न करके उसे निष्प्रयोज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12ग तथा उ0प्र0 पंचायत निर्वाचन (विवादों का निपटारा अधिनियम) 1994 के अनुसार मात्र निर्वाचित एवं निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशी आवश्यक पक्षकार हैं। अधिनियम में कहीं भी सहायक निर्वाचन अधिकारी अथवा गणना अधिकारी को पक्षकार बनाये जाने का उपबन्ध नहीं है, परन्तु इसके बावजूद विहित प्राधिकारी द्वारा वाद बिन्दु संख्या–2 इस प्रभाव का स्थिर किया गया कि मतगणना अधिकारी व मतदान अधिकारी पर जो आरोप लगाया गया है क्या याचिका की सुनवाई आवश्यक हो गया है। इस विवाद्यक का निर्णय निगरानीकर्ता के विरूद्ध मानते हुए याचिका को पोषणीय नहीं माना गया जो अवैधानिक है। निगरानीकर्ता अन्तर्वती प्रश्न है परन्तु विद्वान नियत प्राधिकारी द्वारा इसे अन्तिम मानकर आलोच्याधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा मतपत्रों को आहूत करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, परन्तु नियत प्राधिकारी द्वारा उक्त पर कोई आदेश नहीं किया गया, क्योंकि मत पत्रों के निरीक्षण के अभाव में निश्चायक अभिवचन किया जाना संभव नहीं था। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के साक्ष्यों का

सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार किया जाय।

4. उक्त निगरानी के साथ विचारण न्यायालय के आदेश की प्रति को दाखिल किया गया है तथा इसी सम्बन्ध में विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, फरेन्दा, महराजगंज के समक्ष लम्बित निर्वाचन याचिका की पत्रावली भी तलब होकर प्राप्त है।

5. विपक्षीगण 1, 8 व 9 के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये, जिनके द्वारा निगरानी का विरोध किया गया। शेष विपक्षीगण संख्या–3 व 6 की नोटिस व्यक्तिगत तामील है। विपक्षी सं0–2, 4, 5 व 7 की नोटिस चस्पा की गयी थी, तत्पश्चात उन्हें पुनः नोटिस जारी की गयी और विपक्षी सं0–2, 4 व 7 की नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील हुई, किन्तु विपक्षी सं0–5 की पत्नी ने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 27.04.2023 के आदेश से विपक्षी सं0–5 पर रजिस्ट्री द्वारा नोटिस की प्राप्ति के आधार पर प्रकरण में तामीला पर्याप्त माना गया। विपक्षी संख्या–2 ता 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

6. मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री द्विजेन्द्र दूबे, विपक्षी सं0–1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश पटेल और विपक्षीगण संख्या–8 व 9 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) श्री रमेश कुमार मिश्र को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. इस निगरानी के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान निर्वाचन अधिकारी ने आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गयी है अथवा क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर कार्य किया गया है?

8. विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत नौसागर में प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में निगरानीकर्ता ने चुनाव लड़ा और चुनाव में निगरानीकर्ता को सबसे ज्यादे मत मिला, परन्तु मतगणना में निगरानीकर्ता को गलत पराजित दिखाकर विपक्षी बेचन को उसके बाहुबल व प्रभाव के कारण निर्वाचित घोषित कर दिया गया, जिसके सम्बन्ध में पुनः मतगणना हेतु निगरानीकर्ता ने अनुरोध किया परन्तु उसके अनुरोध को न मानते हुए उसको तथा उसके एजेन्ट को मतगणना कार्यस्थल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता ने निगरानी के साथ सूची के माध्यम से निर्वाचन में मतो की गणना परिणाम की छायाप्रतियां दाखिल की गयी हैं, जिसमें बेचन को प्राप्त मतों की संख्या में संशोधन कर उसको विजयी घोषित किया जाना स्पष्ट है, जिसके सम्बन्ध में दिये गये पुनः मतगणना के आवेदन की भी छायाप्रति दाखिल की गयी है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया इस सम्बन्ध में सूचना के अधिकार अधिनियम में सूचना हेतु आवेदन करने पर भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निगरानीकर्ता ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा–12ग की उपधारा–1 में विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, परन्तु विद्वान मजिस्ट्रेट/

विहित प्राधिकारी द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अवलोकन किए बिना विधि विरूद्ध तरीके से आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित वाद **मालती सिंह बनाम सब डिविजनल आफीसर लाज(इला.)–2012–10–141 निर्णय दिनांक अक्टूबर 16, 2002** को प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि उक्त विधि व्यवस्था में विहित प्राधिकारी द्वारा दुबारा मतों की गिनती कराये जाने को सही ठहराते हुए निष्कर्ष दिया गया है और इस प्रकरण में भी अनियमितता होने पर याची/निगरानीकर्ता के शिकायत पर दुबारा मतों की गिनती नहीं करायी गयी और उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा विपरीत निष्कर्ष देते हुए निगरानीकर्ता की चुनाव याचिका को खारिज किया गया है, जो विधिविरूद्ध आदेश है। इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक अन्य निर्णय में याचिकाकर्ता श्रीमती अनीता देवी के **रिट नं0–14277/2016 साइटेशन नं0–2016ः ए एच सीःः54921–डीबी निर्णय दिनांकित 31.03.2016** व अन्य कुछ याचीगण के रिटों का एक साथ निपटारा करते हुए चुनाव की पारदर्शिता व लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत रखने के लिए दाखिल शिकायतों व चुनाव याचिकाओं का शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मतपत्रों की पुनर्गणना के सम्बन्ध में एक अन्य विधिव्यवस्था **कृष्णा माधव बनाम प्रिस्काइब्ड अथार्टी/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट, सदर, मिर्जापुर एवं अन्य** दाखिल कर यह तर्क प्रस्तुत किया गया हैं कि निगरानीकर्ता द्वारा चुनाव में धांधली के सम्बन्ध में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याची/निगरानीकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है।

9. उपरोक्त तर्को के विपरीत विपक्षी सं0–8 व 9 की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) द्वारा तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय का निर्णय व आदेश एक विधिसम्मत आदेश है, जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। निगरानी में काई बल नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उचित आदेश पारित किया गया है। निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल निगरानी निरस्त किया जाय।

10. विपक्षी संख्या–1 निर्वाचित ग्राम प्रधान के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि निगरानीकर्ता के प्रार्थना पर बूथ संख्या–89 की पुनर्मतगणना करायी गयी थी जिसमें निर्वाचित/विपक्षी संख्या–01 के 02 मत कम होकर अन्य प्रतिद्वन्दी के मतों की संख्या में जोड़े गये और इसका निगरानीकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। निगरानीकर्ता मात्र क्यास के आधार पर सभी बूथों पर पुनर्मतगणना कराये जाने की मांग कर रहा है जो कि शासकीय धन का दुरूपयोग और लोक सेवकों के समय का दुरूपयोग होगा।

11. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निर्वाचन प्रक्रिया सुचिता पूर्ण रूप से निष्पादित किया जाना एक आवश्यक लोक कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की

त्रुटि की अनदेखी नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में ग्रामसभा नौसागर क्षेत्र पंचायत धानी के ग्राम प्रधान निर्वाचन को इस आधार पर आक्षेपित किया गया है कि विपक्षी सं0–1 के अनुचित प्रभाव में मतगणना कराते हुए उसे विजयी घोषित कर दिया गया, मतगणना में धांधली की गयी और इसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार और अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया। विद्वान प्रथम न्यायालय/उप जिलाधिकारी, फरेन्दा द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में कुल 05 वाद बिन्दुओं पर विचार किया गया जो निम्न हैः–

1. क्या याची पुनर्गणना का अधिकारी है या नहीं? यदि हां तो उसका प्रभाव?
2. मतगणना अधिकारी व मतदान अधिकारी पर जो आरोप लगाया गया है, उनकी अनुपस्थिति में क्या याचिका की सुनवाई हो सकती है?
3. क्या पक्षकार जिनको याची ने याचिका में पक्षकार बनाया है, सम्मन जारी हुआ है, उनकी अनुपस्थिति में याचिका की सुनवाई हो सकती है?
4. क्या एक बार मतगणना हो जाने के उपरान्त पुनः मतगणना होने के उपरान्त भी पुनः मतगणना हो सकता है?
5. क्या याचिका काल बाधित है?

12. उपरोक्त वाद बिन्दुओं के सम्बन्ध में विद्वान न्यायालय ने निर्वाचन याचिका को काल बाधित नहीं होने का निष्कर्ष दिया। विपक्षी सं0–2 ता 7 को औपचारिक पक्षकार होने का निष्कर्ष दिया, किन्तु वाद बिन्दु सं0–2 के सम्बन्ध में यह अवधारित किया कि मतगणना अधिकारी व मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में निर्वाचन याचिका की सुनवाई नहीं की जा सकती। वाद बिन्दु संख्या–1 व 4 के सम्बन्ध में यह निर्धारित किया कि मतों की पुनर्गणना के प्रयोजन के लिए मतदान की गोपनीयता को विनिष्ट नहीं किया जा सकता, अनुचित प्रभाव का प्रयोग एवं भ्रष्ट आचरण साबित न होने तथा मतों की निश्चित संख्या का उल्लेख न होने की दशा में पुनर्मतगणना का आदेश नहीं दिया जा सकता और केवल संदेह के आधार पर पुनर्मतगणना का आदेश उचित नहीं है।

13. आक्षेपित आदेश में चुनाव प्रक्रिया में मतदान बूथ संख्या–80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 एवं 89 कुल 10 बूथों पर होने का उल्लेख है। दिनांक 03.05.2021 को परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें विपक्षी सं0–1 बेचन को विजयी और निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया है। आक्षेपित आदेश में सभी उम्मीदवार को प्राप्त मतों की कुल संख्या का भी उल्लेख है। निगरानीकर्ता की ओर से इस न्यायालय के समक्ष सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद महराजगंज द्वारा जारी मतगणना सम्बन्धी प्रलेख प्रस्तुत किये गये हैं, जिसमें कागज संख्या–25ग सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक बूथ पर प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग प्रदर्शित करता है। उक्त शीट पर कई

स्थान में कटिंग है तथा बूथ संख्या–89 में मतों की संख्या में कटिंग की गयी है एवं कुल योग में भी कटिंग की गयी है। यह कटिंग किसके द्वारा की गयी, किन परिस्थितियों में की गयी, इसका कोई उल्लेख उक्त योग शीट में नहीं है। बूथ संख्या–89 की गणना प्रति में मतों के भिन्न संख्या का उल्लेख है, जबकि कुल योग शीट में मतों की संख्या परिवर्तित हो गयी है। विद्वान प्रथम न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय में इन बिन्दुओं पर न तो कोई ध्यान दिया गया है और न कोई निष्कर्ष दिया गया है।

14. विद्वान प्रथम न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के रूप में याचिकाकर्ता अमर सिंह का साक्ष्य दर्ज किया है, जिसकी विपक्षी बेचन ने प्रतिपरीक्षा की है। उक्त साक्ष्य में याचिकाकर्ता अमर सिंह ने कथन किया है कि मतगणना दिनांक 02 मई व 03 मई, 2021 को ब्लाक धानी में हुआ है। मतगणना में बूथ संख्या–89 में वह प्रत्यक्ष अपनी आंखों से धांधली एवं जबरजस्ती विपक्षी प्रथमपक्ष को मतगणना के दौरान विजयी 11 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया। उस धांधली के विरूद्ध वह ए0आर0ओ0 साहब को अवगत कराया और पुनः रीकाउन्टिंग के लिए आग्रह किया लेकिन ए0आर0ओ0 साहब उससे कह रहे हैं कि जो भी गणना हुआ है सब सही हुआ है और इस बात को सुनकर वह असन्तुष्ट रहा। बूथ के रीकाउन्टिंग के सम्बन्ध में पुनः एस0डी0एम0 साहब एवं डी0एम0 साहब को दूरभाष पर अवगत कराया लेकिन उस पर भी रीकाउन्टिंग नहीं कराया गया। पुनः मतगणना के सम्बन्ध में एक प्रार्थनापत्र लिखने के लिए उससे कहा गया। चूंकि उसने बूथ संख्या–89 पर अपने आंखों से देखा और पुनःमतगणना के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र भी लिखा। लगभग डेढ घन्टे के बाद बूथ सं0–89 में 50 मतपत्रों से बनी गड्डियों में उसके मतपत्रों को दिखाया गया और विपक्षी प्रथम पक्ष के मतपत्रों को जब लिया जा रहा था उसमें तीन मत दूसरे प्रत्याशी के मत पत्र जिसमें दो मत पत्र एक कार चिन्ह की, एक मत पत्र चुनाव चिन्ह कैमरा की, बाकी अन्य गड्डियों को नहीं गिना गया। जब उसने गिनने के लिए ए.आर.ओ. साहब से आग्रह किया तो उन्होंने पुलिस बल का प्रयोग करके अन्य प्रत्याशियों एवं एजेन्ट तथा उसे भी बाहर निकाला जा रहा था। इसी बीच ए0आर0ओ0 साहब वहां से यह कहते हुए गए कि अन्य पेटियों व गड्डियों की गिनती नहीं करेंगे। जिरह में साक्षी ने कहा कि गणना एक ही बूथ पर कराया जा रहा था। वह वहां मौजूद था जिस समय मतदान की मतपेटियां सील हुआ, वह मौजूद था। उसके सामने सील हुआ था। उसके समक्ष सभी बक्सों को नहीं खोला गया था। जो बक्सा खोला गया था उसके समक्ष उसकी मतगणना हुआ था। मतगणना एजेन्ट वह ही था और वह प्रत्याशी भी था।

15. उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत विपक्षीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान प्रथम न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्य का अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार से विद्वान न्यायालय ने पत्रावली पर उलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन नहीं किया है। विद्वान प्रथम न्यायालय ने वाद बिन्दु सं0–2 का निस्तारण करते हुए मतगणना अधिकारी व मतदान अधिकारी को आवश्यक पक्षकार माना है। उक्त निष्कर्ष के सन्दर्भ में

आधार यह लिया गया है कि उक्त अधिकारीगण पर आरोप लगाया गया है जिस हेतु उन्हें सुना जाना आवश्यक है। विद्वान प्रथम न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित नहीं है, क्योंकि विद्वान न्यायालय के समक्ष मतगणना अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के विरूद्ध आरोप का विचारण लम्बित नहीं था, अपितु मतगणना के दौरान उनके कृत्यों का आधार लेकर याचिका प्रस्तुत की गयी है। विद्वान विचारण न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष विधि प्रतिकूल है और मतगणना अधिकारी व मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति से चुनाव याचिका की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

16. विद्वान प्रथम न्यायालय के निर्णय के अवोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विद्वान न्यायालय ने याचिका में उठाये गये आधारों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और असंगत आधारों पर एवं तथ्यों पर अपना निर्णय पारित किया है। विद्वान न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन नहीं किया है, अपितु सम्भावनाओं के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो कि स्थिर रखने योग्य नहीं है। निष्कर्ष में यह निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। तद्नुसार अवधारणीय विन्दु निस्तारित किया जाता है।

आदेश

17. निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विहित प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, फरेन्दा, महराजगंज द्वारा वाद संख्या–02668/2021 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या–टी202105470402668 अमर सिंह बनाम बेचन अन्तर्गत धारा–12ग उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 06.02.2023 अपास्त किया जाता है। इस निगरानी निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायलय की पत्रावली इस निर्देश के साथ वापस भेजी जाती है कि विद्वान विचारण न्यायालय निगरानी निर्णय के प्रकाश मे पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकार विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2023 को पेश हों।

दिनॉक 04.11.2023

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई0डी0नं0–यू0पी06222
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–01, महराजगंज

आज यह निर्णय मेंरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करते हुए घोषित किया गया।

दिनॉक 04.11.2023

(पवन कुमार श्रीवास्तव)
आई0डी0नं0–यू0पी06222
अपर जनपद न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–01, महराजगंज

Digitally signed by Pawan Kumar Srivastava
Date: 2023.11.04 16:53:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court